



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-124

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271155 दिनांक 11/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Tarun Kumar Singhal S/o JAGDEEP SINGHAL	श्री जगदीप सिंघल पुत्र स्व. श्री केदारनाथ सिंघल	142B	422.63 SQ. YARD	Cooperative	MAN SAGAR VISTAR Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	दी कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मानसागर विस्तार के भूखण्ड संख्या 142बी क्षेत्रफल 422.63 वर्ग गज की लीजडीड श्री जगदीप सिंघल पुत्र स्व. श्री केदारनाथ सिंघल के नाम से दिनांक 26.02.2011 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्री जगदीप सिंघल की दिनांक 12.07.2025 को मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त श्रीमती सुशीला सिंघल पत्नी स्व. श्री जगदीश सिंघल, श्री अरूण कुमार सिंघल पुत्र स्व. श्री जगदीश सिंघल एवं श्रीमती नीतू गुप्ता पुत्री स्व. श्री जगदीप सिंघल के द्वारा



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								अपने अविभाजित हिस्सा 3/4 को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 01.12.2025 के द्वारा श्री तरूण कुमार सिंघल पुत्र स्व. श्री जगदीश सिंघल को कर दिया गया। आवेदक श्री तरूण कुमार सिंघल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Tarun Kumar Singhal S/o JAGDEEP SINGHAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |